लघु उद्योगों के लिए आरक्षण नीति संबंधी नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकनोमिक रिसर्च का अध्ययन प्रतिवेदन

1428. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च" और "फ्रेडरिच नौमेन स्टिफ्टुंग" के संयुक्त प्रतिवेदन पर विचार किया है जिसमें यह कहा गया है कि लघु उद्योग के अन्तर्गत उत्पादन की आरक्षण नीति को वापस लिया जाना चाहिए,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में अब तक कोई अन्तिम निर्णय लिया है, और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च और फ्रेडरिच नौमेन स्टिफ्टुंग का संयुक्त प्रतिवेदन सरकार के ध्यान में आया है। अध्ययन का विषय भारत में लघु उद्योगों की संरचना तथा उन्नति से संबंधित था और आरक्षण अध्ययन के लिए उनमें से कोई एक मुद्दा नहीं था। अध्ययन का विषय देश-भर में 22 लाख लघु उद्योग एककों के विरुद्ध 657 एककों के निरीक्षण पर आधारित था। उत्पादों का आरक्षण लघु उद्योग क्षेत्र के लिये एक महत्वपूर्ण विषय है और इस प्रकार के छोटे नमूने आकार के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता।

1429. **श्री राम जेठमलानी :**

श्री वीरेन जे० शाह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक लघु उद्योगों को उनके लिये निर्धारित कुल ऋण का केवल 15 से 18 प्रतिशत ही ऋण उपलब्ध करा रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान वाणिज्य बैंकों द्वारा लघु-उद्योग क्षेत्र के लिये निर्धारित कुल ऋण का कितने प्रतिशत ऋण इसे दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि लघु उद्योग देश के कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 35 प्रतिशत वार्षिक उत्पादन करते हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकारी आकलन क्या है;

(ङ) क्या यह भी सच है लघु-उद्योग क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक है;

(च) यदि नहीं, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(छ) क्या देश की अर्थ-व्यवस्था में लघु-उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए सरकार संबंधित विभागों के साथ इन उद्योगों को दिये जाने वाले ऋण की प्रतिशतता में वृद्धि करने से संबंधित मामला उठाने के लिए प्रयास करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० अरुणाचलम) : (क) और (ख) मार्च, 1991, 1992 और 1993 के अन्त में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कुल शुद्ध बैंक ऋण के मुकाबले लघु क्षेत्र के अग्रिम का प्रतिशत क्रमशः 14.6 प्रतिशत, 15.5 प्रतिशत और 15 9 प्रतिशत था। शुद्ध बैंक ऋण के अनुपात के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र का अग्रिम 40 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन, लघु शिक्षा ऋण, एस० ई० ई० यू० वाई०, पी० एम० आर० वाई०, डी० आर० आई० योजना आदि के अधीन ऋण शामिल हैं। जबकि कृषि अग्रिम के लिए 18 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित